C.N.R.No. CGKG020009542022
Filing No.912/2022
Reg.No.-24/2022
बेदो मण्डावी वि० राजाराम मण्डावी

न्यायालयः– न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोण्डागांव, जिला–कोण्डागांव (छ०ग०)
(पीठासीन अधिकारी–शिव प्रकाश त्रिपाठी)

विविध आप०प्र० क्रं०– 24/2022
संस्थित दिनांक –10/11/2022

1. श्रीमती बेदो मण्डावी पति राजाराम मण्डावी,
उम्र 23 वर्ष,
2. देवेश मण्डावी पिता राजाराम मण्डावी,
उम्र 4 माह, दोनों निवासी–ग्राम धनपुर
तहसील–माकड़ी जिला कोण्डागांव (छ०ग०)
साझी गृहस्ती ग्राम –बुडरा तहसील–माकड़ी
जिला कोण्डागांव (छ०ग०) ..... व्यथीत व्यक्ति/आवेदिकागण

विरूद्ध

श्री राजाराम मण्डावी पिता नामालुम
उम्र–30 वर्ष, निवासी– ग्राम–बुडरा
तहसील–माकड़ी जिला कोण्डागांव (छ०ग०) ..... प्रत्यर्थी/आनावेदक

———————————————————————————————

//आदेश //

(आज दिनांक 07.08.2023 को घोषित)

———————————————————————————————

01– इस आदेश द्वारा व्यथित व्यक्ति श्रीमती बेदो मण्डावी एवं देवेश मण्डावी द्वारा प्रत्यार्थी के विरूद्ध धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन का निराकरण किया जा रहा है ।

02– आवेदिका/व्यथित व्यक्ति की ओर से प्रस्तुत आवेदन इस प्रकार है कि आवेदिका एवं अनावेदक का विवाह लगभग 3 साल पहले सामाजिक रीति–रिवाज से संपन्न हुआ है। इनके दामपत्य जीवन से एक पुत्र (देवेश मण्डावी उम्र–11 महिना) का जन्म हुआ है। आवेदिका एवं अनावेदक का प्रेम संबंध लगभग 6 साल तक रहा, इसके बाद दोनों ने विवाह किया। आवेदक क्रमांक 2 के जन्म के बाद अनावेदक के व्यवहार में परिवर्तन आया।

आवेदिका का कहना है कि अनावेदक का किसी महिला के साथ प्रेम संबंध है। अनावेदक रात को कभी एक बजे, कभी दो बजे, कभी बारह बजे घर आता है। मोबाईल में लम्बी–लम्बी बातचीत करता है। आवेदिका जब घर के अंदर होती है, तो अनावेदक बाहर निकल जाता है। आवेदिका एवं अनावेदक एक कमरे में नहीं सोते ह। आवेदिका के कमरे से बाहर अनावेदक सोता है। आवेदिका को घर से चली जा बोलता है, तेरे जैस दस पत्नी खड़ा करूंगा बोलता है। आवेदिका को घर से निकालने की नियत से उसके साथ मारपीट, गाली–गलौज, बच्चे को छोड़ और चली जा बोलता है। आवेदिकागण के लिये अनावेदक विवाह से लेकर अब तक दैनिक जरूरत की सामानों की पूर्ति नहीं किया। आवेदकगण के कपड़ों, तेल, साबुन एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति अनावेदक नहीं करता है। आवेदिका के मायके से उक्त आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। आवेदिका को उसकी ननंद कुमारी लखेश्वरी मण्डावी बोलती है कि तुझे घर का काम नहीं आता है, तू यहां से चली जा। आवेदिका अनावेदक के प्रताड़ना से परेशान होकर अनावेदक के साथ नहीं रहना चाहती है, किन्तु अनावेदक अपने व्यवहार में परिवर्तन करके आवेदिका को अपने साथ रखता है। तब आवेदिका माननीय न्यायालय से सुरक्षा आदेश प्राप्त करना चाहती है। अगर आवेदिका को अनावेदक अपने साथ नहीं रखना चाहता है, तब की स्थिति में आवेदकगण अपना स्त्रीधन एवं भरण–पोषण, अन्य खर्च मासिक रूप से प्राप्त करना चाहती है। आवेदिका माननीय न्यायालय से निवेदन करती है कि अनावेदक से स्त्रीधन, रहने के लिये घर, भरण–पोषण एवं मेडिकल व अन्य खर्च कुल मिलाकर प्रतिमाह 6000/–रूपये अनावेदक से दिलाया जावे।

03– आवेदिका की ओर से अपने मामले को प्रमाणित करने के लिए स्वयं का कथन अंकित कराया गया है। जबकि अनावेदक पूर्व से ही एकपक्षीय होने के कारण उसकी

ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही उसकी ओर से कोई साक्षी का कथन हुआ है।

04– प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि –

01. क्या प्रत्यर्थी राजाराम मण्डावी द्वारा आवेदिका/प्रार्थिया के साथ घरेलू हिंसा कारित की गयी?

02. सहायता एवं व्यय?

//साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष//

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 का सकारण निष्कर्ष

05– घरेलू हिंसा को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित किया गया है जिसके अंतर्गत प्रत्यर्थी का ऐसा कोई भी कार्य या लोप या कारण या आचरण घरेलू हिंसा के रूप में होगा, जो (क) व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग या भलाई चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक की अपहानि या क्षतिग्रस्त करता है या उसको संकटापन्न करता है, या ऐसा करने वाला है, उसके अंतर्गत शारीरिक दुर्व्यवहार, लैंगिक दुर्व्यवहार, मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार और आर्थिक दुर्व्यवहार करता है, या (ख) किसी भी दहेज या अन्य संपत्ति का मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी भी विधि विरूद्ध मांग की पूर्ति करने के लिए उसको या उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति को प्रताडित करने की दृष्टि से व्यथित व्यक्ति को तंग करता है, उसकी अपहानि या क्षतिग्रस्त करता है या उसको सकंटापन्न करता है या (ग) खंड क या ख में वर्णित किसी भी आचरण से व्यथित व्यक्ति या उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति को धमकी देने का प्रभाव रखता है या (घ) व्यथित व्यक्ति को अन्यथा क्षति पहुंचाता है, उस की अपहानि करता है चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक।

06– **"व्यथित व्यक्ति"** को अधिनियम की धारा 2(क) में परिभाषित किया गया है, व्यथित व्यक्ति से ऐसी कोई भी महिला अभिप्रेत है जो प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदारी में है या रही है और जो प्रत्यार्थी द्वारा घरेलू हिंसा के किसी भी कार्य के अधिन रही होने का अभिकथन करती है। **"घरेलू नातेदारी"** से ऐसे दो व्यक्तियों के मध्य की नातेदारी अभिप्रेत है, जो साझा ग्रहस्थी में रहते हैं, या किसी भी समय रहे हैं, जब वे समरक्तता, विवाह द्वारा या दत्तकग्रहण की नातेदारी के माध्यम से संबंधित हो या संयुक्त परिवार के रूप में साथ–साथ निवास कर रहे पारिवारिक सदस्य हो । **"साझा गृहस्थी** " से ऐसी गृहस्थी अभिप्रेत है जहां व्यथित व्यक्ति या तो अकेले या प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदारी में रहता है या किसी भी प्रक्रम पर रहा है और उसके अन्तर्गत ऐसी कोई गृहस्थी सम्मिलित है जो चाहे व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी के संयुक्त रूप से स्वामित्वाधीन है या किराये पर ली गई थी या उनमें से किसी के स्वामित्वाधीन है या किराये पर ली गई है जिसके संबंध में या तो व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी को या दोनों को संयुक्त रूप से या अकेले कोई भी अधिकार, हक, हित या न्यायोचित दावा है और इसके अन्तर्गत ऐसी गृहस्थी , इस बात को विचार में लाये बिना है कि आया प्रत्यर्थी या व्यथित व्यक्ति का साझा गृहस्थी में कोई भी अधिकार, हक या हित है, जो उस संयुक्त परिवार की हो जिसका प्रत्यर्थी सदस्य है।

07– उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि साझा गृहस्थी में पुरूष या महिला दोनों ही व्यक्ति ही शामिल है जो व्यथित व्यक्ति से घरेलू नातेदार में है या रहे हैं और जिसके विरूद्ध व्यथित व्यक्ति ने कोई अनुतोष चाहा है। प्रत्यर्थी की परिभाषा में दिये परिभाषा के परन्तुक में स्पष्ट है कि कोई स्त्री पति के नातेदार के विरूद्ध भी परिवाद फाईल कर सकेगी। साझा गृहस्थी की परिभाषा से स्पष्ट है कि व्यथित व्यक्ति के साथ प्रत्यर्थी का

लगातार घरेलू नातेदारी में रहना आवश्यक नहीं है, अपितु किसी प्रकरण का प्रत्यर्थी व्यथित व्यक्ति के साथ घरेलू नातेदारी में रहा है, तब भी वह साझा गृहस्थी की परिभाषा में आयेगा ।

08– वर्तमान मामले में आवेदिका/प्रार्थिया द्वारा स्वयं को आवेदिका साक्षी के रूप में परिक्षित कराया है तथा अपने न्यायालयीन कथन में व्यक्त् किया था कि उसका विवाह तीन वर्ष पूर्व सामाजिक रीति रिवाज से ग्राम बुडरा में संपन्न हुआ था। उनके दांपत्य जीवन से एक पुत्र देवेश मण्डावी का जन्म हुआ। उसके पुत्र के जन्म के पश्चात् अनावेदक के व्यवहार में परिवर्तन आ गया था। अनावेदक का किसी अन्य महिला के साथ प्रेम संबंध था तथा अनावेदक उस महिला से रात में मोबाईल से बातचीत करता है। अनावेदक घर में नहीं रहता वह बाहर रहता है और जब भी वह घर आता है उसे घर से बाहर निकाल देता है। अनावेदक उसके साथ शराब पीकर लड़ाई झगड़ा मारपीट करता है और कहता है कि तेरे जैसे दस पत्नी रख सकता हूं। अनावेदक घर के दैनिक जरूरतों का सामान नहीं लाता है। अनावेदक राज मिस्त्री का काम करता है और प्रति माह बीस हजार रूपये कमाता है। अनावेदक उसे घर से बाहर निकाल दिया है तब से वह अपने मायके में रहती है। वह अपना और अपने बच्चे के भरण पोषण करने के लिए सक्षम नहीं है, इसलिए वह चाहती है कि उसे और उसके बच्चे के लिए अनावेदक भरण पोषण की राशि के रूप में उसे 6,000/– रूपये प्रदान करे।

09– इसी साक्षी ने आगे कथन किया है कि वह सात माह से अपने पति से अलग है और अपने माता–पिता के साथ रहती है। उसे उसके मायके वालों ने विवाह के समय स्त्रीधन के रूप में सामान एवं रकम प्रदान किया था, जिसके संबंध में उसके विवाह के समय दिनांक 22.04.2021 को लिखे गये सामानों की सूची प्रकरण में पेश

की है, जो **प्र.पी.–01** दो पन्ने में है। अनावेदक से उसे उसका स्त्रीधन पीतल का गगरा– 17 नग, स्टील गुंडी– 09 नग, कांस कसेला– 6 नग, बरतन जाली– 2 नग, आलमारी– 2 नग, ड्रेसिंग टेबल –1 नग, कांस थाली – 12 नग, दीवान–1 नग, पंलग –1 नग, सोफा सेट पांच सीटर –1 नग, स्टील थाली–15 नग, गिफ्ट–4 नग एवं नगदी रकम– 6850/–रूपये अनावेदक से प्राप्त करना चाहती है।

10– आवेदिका की ओर से स्वयं के अतिरिक्त् किसी अन्य साक्षी के कथन नहीं कराये गये है। संरक्षण अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत घरेलू रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके कंडिका 4 में अनावेदक राजाराम मण्डावी द्वारा गाली गलौच एवं मारपीट किया जाना लेख किया गया है। आर्थिक बल प्रयोग की कंडिका में आवेदिका तथा उसके संतानें को भरण पोषण के लिए धन न देना, खाना, कपड़े दवाईयां इत्यादि उपलब्ध न करवाना, घर के बाहर रहने के लिए मजबूर करना लेख किया गया है तथा कंडिका 6 दहेज संबंधी उत्पीड़न में स्त्रीधन आदि व्यौरे के संबंध पर हां पर चिन्ह अंकित किया गया है। अनुतोष खण्ड में धारा 18 के अधीन संरक्षण आदेश एवं धारा 20 के तहत भरण पोषण दिलाये जाने का निवेदन किया है।

11– आवेदिका ने न तो आवेदन में ही न ही घरेलू घटना रिपोर्ट में मारपीट किये जाने की किसी घटना का उल्लेख किया है और न ही अपने न्यायालयीन कथन में किसी घटना विशेष का उल्लेख किया है। आवेदिका ने सिर्फ यह कहा है कि अनावेदक उसके साथ शराब पीकर लड़ाई झगड़ा मारपीट करता है किन्तु कब मारपीट की गयी इस बिंदु पर कुछ नहीं लिखा है। न्यायालयीन कथन में आवेदिका ने यह भी कहा है कि अनावेदक का अन्य महिला के साथ प्रेम संबंध था किन्तु किस महिला के साथ प्रेम संबंध था इस बिंदु पर कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। अपने घरेलू घटना रिपोर्ट में भी

आवेदिका ने उक्त् बिन्दु पर कुछ नहीं कहा है। अनावेदक द्वारा आवेदिका को कब–कब घर से बाहर निकाला गया और वह कब से साझा गृहस्थी में रह रही है इसके संबंध में भी कोई स्पष्ट कथन नहीं किया है। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत सामान की सूची प्र.पी.–01 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि भिन्न–भिन्न लोगों ने भिन्न–भिन्न सामान दिया है। उक्त् प्र.पी.–01 दिनांक 22.04.2021 का दस्तावेज है जबकि आवेदिका के अनुसार विवाह तीन वर्ष पूर्व हुआ था। अतः स्पष्ट नहीं होता है कि उक्त् सूची प्र.पी.–01 की सूची आवेदिका के विवाह के समय तैयार की गयी थी इसके अतिरिक्त उक्त् सूची पर किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं है। अतः प्र.पी.–01 के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। आवेदिका द्वारा अपने कथन के समर्थन में किसी भी साक्षी के कथन नही कराये गये है। यहां तक की आवेदिका के माता पिता का कथन नहीं कराया गया है। उसके कथन में किसी विशेष घटना का उल्लेख नहीं है। सिर्फ यह कहना की आनावेदक शराब पीकर उसके साथ लड़ाई झगड़ा करता है, अन्य महिला के साथ संबंध है तथा घर के दैनिक जरूरतों का सामान नहीं लाता है के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा सकता कि आनावेदक द्वारा आवेदिका के साथ घरेलू हिंसा की गयी। परिणामरूवरूप आवेदिका के ओर से प्रस्तुत आवेदन स्पष्ट साक्ष्य के आभाव में **खारिज** किया जाता है।

12– इस आदेश की एक प्रति आवेदिका को निः शुल्क प्रदान की जावे,

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित दिनांकित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देश पर टंकित ।

सही/–
(शिव प्रकाश त्रिपाठी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कोण्डांगाव, जिला कोण्डागांव छ.ग.

सही/–
(शिव प्रकाश त्रिपाठी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कोण्डागांव, जिला कोण्डागांव

SHIV PRAKASH TRIPATHI
Digitally signed by SHIV PRAKASH TRIPATHI

P.T.O